अनुदान संख्या 10 – कोयला मंत्रालय
GRANT No. 10–MINISTRY OF COAL

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	437,90,00	437,91,00	229,67,27	–208,23,73
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				179,46,88
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		25,00,00	24,51,03	–48,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				45,65

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	628.00	526.86	510.37	–16.49
पु.	R.	–101.14			
मुख्य शीर्ष "2230" श्रम तथा रोजगार	Major Head "2230" Labour and Employment				
मू.	O.	2823.00	2937.78	2937.78	. .
पु.	R.	114.78			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2803'' कोयला और लिग्नाइट	Major Head "2803" Coal and Lignite				
मू.	O.	37480.00			
पू.	S.	1.00	19520.48	19519.12	–1.36
पु.	R.	–17960.52			
मुख्य शीर्ष "2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas		2859.00	. .	–2859.00

(I) 19459.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत तीन मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2803''-

(क) "कोयला तथा लिग्नाइट कंपनियों को सहायता - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अनुदान''- 13844.00 लाख रु. अव्ययित शेष की उपलब्धता होने तथा कंपनी द्वारा उपयोग प्रमाणपत्रों के प्रस्तुत न किए जाने के कारण थे।

(ख) "अन्य व्यय - पर्यावरणीय उपाय तथा अवतलन नियंत्रण''- 2756.00 लाख रु. खान वाले क्षेत्रों के पुनरुद्धार के संबंध में बागानों के लिए भूमि के उपलब्ध न होने, अग्नि तथा अवतलन नियंत्रण संबंधी क्रियाकलापों के लिए पुन: योजना बनाने, कुछ स्कीमों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने, स्थानीय लोगों द्वारा काम में बाधा डालने, राज्य सरकारों द्वारा पुनर्वास स्थल को अंतिम रूप न दिए जाने और कुछ मामलों में संयंत्र और मशीनरी की अधिप्राप्ति में विलंब होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552'' - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हितलाभ के लिए एकमुश्त प्रावधान''- 2859.00 लाख रु. इस तथ्य के कारण थे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए कोल कंपनियों के पास कोई स्कीम नहीं थी।

(I) Provision of Rs.19459.00 lakhs remained wholly unutilised in three cases under the following major heads:-

(A) Major Head "2803" –

(a) "Assistance to Coal and Lignite Companies – Grant for Implementation of Voluntary Retirement Scheme in Public Sector Undertakings" – Rs.13844.00 lakhs – due to availability of unspent balance and non-furnishing of utilisation certificates by the companies.

(b) "Other Expenditure – Environmental Measures and Subsidence Control" – Rs.2756.00 lakhs – due to non-availability of land for plantation for restoration of mined out areas, re-planning of activities for fire and subsidence control, non-finalisation of tenders for some schemes, interruption of works by local population, non-finalisation of rehabilitation site by State Governments and in some cases delay in procurement of plant and machinery.

(B) Major Head "2552" – "Other Expenditure – Lumpsum Provision for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" – Rs.2859.00 lakhs – due to the fact that the Coal Companies did not have any scheme for implementation in the North Eastern Region.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - कोयला मंत्रालय" के अंतर्गत 117.63 लाख रु. की बचत (628.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, वित्त मंत्रालय के निदेश के अनुसार गैर-वेतन व्यय पर दस प्रतिशत की कटौती किए जाने और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा लोकनायक भवन में कोयला मंत्रालय द्वारा अधिग्रहीत स्थान के लिए किराए की अदायगी किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2803" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "कोयला तथा लिग्नाइट कंपनियों को सहायता - कोयला पूरित क्षेत्रों में परिवहन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए उपकर (उत्पाद शुल्क) संग्रहण के लिए अदायगी"- 114.78 लाख रु. की बचत (5094.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रत्याशित किए गए अनुसार स्कीम को मूर्तरूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "अनुसंधान और विकास - अन्य स्कीमें"- 1573.00 लाख रु. की बचत (2248.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आयातित उपस्कर की अधिप्राप्ति में विलंब होने, निर्माण कार्यकलापों में विलंब होने, एक परियोजना को बंद करने, वास्तविक प्रत्यक्ष प्रगति के आधार पर साठ चालू परियोजनाओं को निधियां जारी किए जाने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (367.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2803" - "अन्य व्यय" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत फरवरी, 2004 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "क्षेत्रीय अन्वेषण"- 113.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 112.50 लाख रु. था।

(खा) "विस्तृत तलभेदन"- 254.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 253.50 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष '2230" - "श्रम - श्रम के लिए सामाजिक सुरक्षा - निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई - 114.78 लाख रु. का अधिक व्यय (156.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat–Ministry of Coal" – saving of Rs.117.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.628.00 lakhs) was due to non- filling up of vacant posts, ten percent cut on non-salary expenditure as per direction of Ministry of Finance and the payment of rent for the space occupied by Ministry of Coal in Lok Nayak Bhawan by Ministry of Urban Development.

(III) Under Major Head "2803" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Assistance to Coal and Lignite Companies – Payment against Collection of Cess (excise duty) towards Development of Transportation Infrastructure in Coalfield Areas" – saving of Rs.114.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5094.00 lakhs) was due to non-materialisation of the scheme to the extent anticipated.

(B) "Research and Development – Other Schemes" – saving of Rs.1573.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2248.00 lakhs) was due to delay in procurement of imported equipment, delay in construction activities, scrapping of one project and release of funds to sixty ongoing projects on actual physical progress basis.

2.(I) The above savings were partly (Rs.367.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by reappropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in February, 2004 under Major Head "2803" – "Other Expenditure" - under the following heads:-

(A) "Regional Exploration" – Rs.113.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.112.50 lakhs.

(B) "Detailed Drilling" – Rs.254.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.253.50 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2230" – "Labour – Social Security for Labour – Deposit Linked Insurance Scheme" – excess of Rs.114.78 lakhs (against the sanctioned

तुलना में) वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 के लिए समायोजन/अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

provision of Rs.156.50 lakhs) was due to requirement of additional funds for adjustment/ payment for the year 2000-01 and 2001-02.

3. कोयला खान श्रमिक आवास तथा सामान्य कल्याण निधि:-

3. ***Coal Mines Labour Housing and General Welfare Fund:-***

कोयला खान कल्याण निधि अधिनियम, 1947 के अधीन कोयले और कोक के प्रेषण पर लगाए गए उपकर की प्राप्तियां शीर्ष ''0038'' - ''संघ उत्पाद शुल्क'' को क्रेडिट की जाती थी तथा बजटीय आबंटन के माध्यम से कुछ राशि निधि को अंतरित कर दी जाती थी। यह अधिनियम पहली अक्तूबर, 1986 को निरस्त कर दिया गया है; तथापि, संपूर्ण राशि भारत की समेकित निधि को अंतरित नहीं की गई थी।

The proceeds of cess levied on the despatch of Coal and coke under Coal Mines Welfare Fund Act, 1947 were credited to the Head "0038" – "Union Excise duties" and some amount out of it was being transferred to the fund through budgetary allocation. The said Act has been repealed on Ist October, 1986; however, all the amounts were not transferred to Consolidated Fund of India.

वर्ष 2003-04 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:-

The account of the Fund for the year 2003-04 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening balance	9,29,27
प्राप्तियां	Receipts	. .
अदायगियां	Payments	10,31
अंतशेष	Closing balance	9,18,96

4. केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र निधि:-

4. ***Central Coal Mines Rescue Station Fund:-***

कोयला खानों में बचाव सेवा कोयला खान बचाव नियम, 1959 के अधीन केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति द्वारा स्थापित की गई है। बचाव एवं खान में फंसे व्यक्तियों को बाहर निकालने के अलावा बचाव केन्द्र किसी प्रकार के विस्फोट, हानिकारक एवं ज्वलनशील गैसों से आग लगने की संभावनाओं को कम करने और कोयला खानों के कामगारों के आरक्षित बचाव के लिए प्रशिक्षण देने के उपाय भी करते हैं। समिति के कार्यकलापों को खानों से उत्पादित और प्रेषित कोयला और कोक पर लगाए गए उपकर की उगाही द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। खान बचाव सेवाओं के संघटन और विस्तार संबंधी कार्यकलापों का वित्तपोषण सीआरआई से अंशदान द्वारा किया जाता है। वर्ष 1986 से निधि में कोई लेन-देन नहीं किया गया था और इस प्रकार

The Rescue Service in Coal Mines is organised by the Central Coal Mines Rescue Station Committee constituted under the Coal Mines Rescue Rule, 1959. Besides the rescue and recovery work, rescue station takes steps to minimise possibility of any explosion, outbreak of fire on dangerous eruption of noxious and inflammable gases and also train colliery workers in reserve recovery. The activities of the committee are financed by the levy of Cess on Coal and Coke produced and dispatched from Mines. The activities relating to mobilisation and expansion of mines rescue services are financed by means of contribution from the CRI. There was no transaction in the fund since 1986 and as such the closing balance at the end of 2003-04 stood at the same level (i.e. Rs. Minus 44,32

2003-04 के अंत में भी अंतशेष 1986-87 के अंत के समान उसी स्तर पर (अर्थात ऋण 44.32 हजार रु.) था। बचाव केन्द्र समिति का 2 अप्रैल, 1985 से कोल इंडिया लि. में अंतरण कर दिया गया है और प्रतिकूल शेषों को कोल इंडिया लि. में अंतरित किया जाना अभी बाकी है। शेष को 2000-01 से कोयला मंत्रालय द्वारा ग्रहण कर लिया गया है।

thousands) at the end of 1986-87. The Rescue Station Committee has since been transferred to Coal India Limited with effect from 2nd April, 1985 and transfer of adverse balances to the Coal India Limited are yet to be made. The balances have been adopted by Ministry of Coal from 2000- 01.